

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय-आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित सहायक आचार्य विषय लोक प्रशासन में चयनित होने पर निम्नांकित स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान को उनके नाम के सामने अंकित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के आदेश क्रम में इस विभाग द्वारा कार्यमुक्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	नाम प्राध्यापक मय पदस्थापन स्थान (श्री/श्रीमती/सुश्री)	संबंधित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के नियुक्ति आदेश के क्रमांक एवं दिनांक
1	प्रवीण कुमार खत्री-राउमावि कानासर, बीकानेर	आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक:-एफ1 (23-14)RPSC/Appt/HRD/2017/846 दिनांक-24/10/2019

उक्त कार्मिक के विभाग छोड़ने पश्चात वर्तमान धारित पद पर स्थाईरूप से कार्यरत होने के कारण नियमानुसार पदाधिकार (LIEN) रहेगा। विभागीय जांच लंबित/प्रस्तावित न होने की स्थिति में संबंधित कार्मिक को उनके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर कार्यमुक्त कर पालना से अवगत करावे।



(नथमल डिडेल)

आई.एस.

निदेशक,


माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-6/रा.वि./कार्यमुक्ति/2018/222  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

दिनांक- 01/11/2019

- 1 संयुक्त शासन सचिव कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 2 आयुक्त कॉलेज शिक्षा एवं विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर।
- 3 संयुक्त शासन सचिव सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4 संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....।
- 5 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- 6 संबंधित प्रधानाचार्य .....
- 7 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
- 8 अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/गोपनीय प्रतिवेदन को प्रेषित कर लेख है कि डीपीसी वर्ष 2016-17 में पदोन्नत कार्मिक प्रवीण कुमार खत्री (वरि. क्रमांक 3432 वरि. अवधि 2005-06) की वरिष्ठता विलोपन की कारवाई की जानी सुनिश्चित करें।
- 9 निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर